राजस्थान आवासन मण्डल : जयपुर ।

क्रमांक:- CE-I/2020-21/284 दिनांक:- 19-11-2020

स्पष्टीकरण

राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं (**IAS/IPS/IFS**) के अधिकारियों हेतु प्रस्तावित की गई **"AIS Residency"** आवासीय योजना दिनांक 2 अक्टूबर 2020 से प्रारम्भ की गई एवं उसमें आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 20.11.2020 निर्धारित की गई थी ।

इस सम्बन्ध में कार्यालय आदेश क्रमांक सीई–।/20–21/282 दिनांक 18.11.2020 के द्वारा इस योजना में कतिपय अन्य सवंर्गो के अधिकारियों को भी आवेदन हेतु शामिल करते हुए इस योजना में पंजीकरण /आवेदन को दिनांक 31.12.2020 तक बढाया गया था ।

उक्त आदेश के सम्बन्ध में निम्नानुसार स्पष्टीकरण जारी किया जाता है ।

1– बिन्दु संख्या 1 एवं 2 का तात्पर्य अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (ग्रुप ए सर्विसेज) के अधिकारियों से है ।

2– बिन्दु संख्या 3 में वर्णित केन्द्रीय सिविल पुलिस सेवा का तात्पर्य **Central Armed Police Force (CAPF)** से है ।

3–उक्त योजना में दिनांक 20.11.2020 तक केवल अखिल भारतीय सेवाओं (**IAS/IPS/IFS**) के अधिकारी ही आवेदन कर सकेंगे तथा उपरोक्त दिनांक 18.11.2020 के आदेश से जिन अन्य सवंर्गो को इस योजना में शामिल किया गया है के अधिकारी दिनांक 21.11.2020 से 31.12.2020 तक ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे ।

हालांकि अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी भी दिनांक 20.11.2020 के पश्चात भी आवेदन कर सकेंगे परन्तु दिनांक 20.11.2020 तक आवेदन करने वाले अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को प्रथम वरीयता दी जावेगी।

Sd/-
(पवन अरोडा)
आवासन आयुक्त

प्रतिलिपि सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1.निजी सचिव–अध्यक्ष/आवासन आयुक्त रा0आ0म0 जयपुर ।
2.मुख्य अभियन्ता –प्रथम /द्वितीय/मुख्यालय रा0आ0म0 जयपुर ।
3.सचिव/वित्तीय सलाहकार /मुख्यसम्पदा प्रबन्धक रा0आ0म0 जयपुर ।
4.अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता प्रथम/द्वितीय/तृतीय रा0आ0म0 जयपुर ।
5.अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक रा0आ0म0 जयपुर ।
6.उप आवासन आयुक्त रा0आ0म0वृत्त ....(समस्त)
7.आवासीय अभियन्ता रा0आ0म0 खण्ड ....(समस्त स्वतंत्र खण्ड)
8.जनसंपर्क अधिकारी रा0आ0म0 जयपुर ।

आवासन आयुक्त